दूरभाष – 05278-245957
फैक्स – 05278-248123

डा0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ0प्र0)

संख्या : लो0अ0वि0 / सम्ब0 / 2019 / 361 दिनांक : 07–08–2019

सेवा में,

प्रबन्धक / प्राचार्य,
साधूराम विश्वकर्मा प्रगति महाविद्यालय,
नरोत्तमपुर, बहराइच।

विषयः मानकानुसार शिक्षक अनुमोदित न होने के कारण महाविद्यालय में प्रवेश प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया आपके महाविद्यालय में शिक्षकों का डाटा आनलाइन जॉच किये जाने के दौरान पाया गया है कि आपके महाविद्यालय केवल 01 प्राचार्य एवं 01 शिक्षक ही विश्वविद्यालय द्वारा अद्यतन अनुमोदित है, जो मानकानुसार नही है। उल्लेखनीय है कि महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों के सापेक्ष मानकानुसार शिक्षक अनुमोदित कराये जाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा कई बार पत्रों के माध्यम से निर्देशित किया जा चुका है। परन्तु आप द्वारा अभी तक संचालित पाठ्यक्रमों में मानकानुसार शिक्षकों का चयन / अनुमोदन नही कराया गया है। जो अत्यन्त खेदजनक है। अस्तु, आपके महाविद्यालय में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों में प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रतिबन्धित किये जाते हैं।

अतः आपको पुनः अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए सूचित किया जाता है कि महाविद्यालय में संचालित समस्त पाठ्यक्रम / पाठ्यक्रमों में दिनॉक 15 अगस्त 2019 तक प्रत्येक दशा में चयन / अनुमोदन करा लें, यदि उक्त तिथि तक चयन / अनुमोदन नही कराया जाता है तो सम्बन्धित पाठ्यक्रम / पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37 में उल्लेखित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्बद्धता वापस लिए जाने की अग्रेत्तर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. प्रोग्रामर ई0डी0पी0 को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत महाविद्यालय में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों में तत्काल प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रतिबन्धित करना सुनिश्चित करें, साथ ही इस पत्र को प्रश्नगत महाविद्यालय के कालेज लाग–इन पर अपलोड करने का कष्ट करें।

कुलसचिव

572